

२८४३१

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-३)



क्रमांक-एफ-४(२४)आरडी/नरेगा /लिटी/०९८० जयपुर, दिनांक :

२७ JUL 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार शारंगी स्कीम राजस्थान,  
समस्त(राजस्थान)।

विषय :- सहकारी संस्थाओं के मिनी बैंकों के माध्यम से भुगतान करने  
बाबत।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार शारंगी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सहकारी संस्थाओं के मिनी बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। आप जिले में मिनी बैंकों के माध्यम से किये जा रहे भुगतान का उग्रकलन कर, आनुप्राप्तिक राशि जिले में स्थापित केन्द्रीय सहकारी बैंक में हरताक्तित कराने की व्यवस्था करें, ताकि मांग के अनुसार संबंधित मिनी बैंकों को उनके द्वारा समय पर राशि का हस्ताक्तरण किया जा सकें।

इसी प्रकार सहकारी संस्थाओं में खाते खोलने वाले व्यक्ति का सहकारी संस्था का सदस्य होना भी एक शर्त है। सदस्यता शुल्क के रूप में खातेदार को रुपये 110.00 का अंशदान जमा कराना होता है। राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अंशदान नरेगा श्रमिक खातेदारों पांच किश्तों में भी जमा करवाया जा सकता है। आप यह प्रयास करें कि मिनी बैंकों में खोले गये खातों से जुड़े श्रमिकों को संबंधित सहकारी संस्था की सदस्यता ग्राहण करने हेतु प्रेरित करें एवं उन्हें सदस्य बनवायें, जो सहकारी अभियान को सार्थक करने में भी सहयोगी बनें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(जी.एस.संघु)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर।
- पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर।
- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

पटि. बिदे. एवं उप सचिव (ग्रामो)